

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/117/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/221
प्रवेश तिथि 08.09.2022

अपीलार्थी

बनाम

प्रत्यर्थी

श्री चेताराम सैनी पुत्र चिरंजीलाल,
निवासी-उपला सोनावा, मैने रोड, स्कीम नं.8, अलवर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांक: 14.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर अलवर को प्रा0पत्र दिनांक: 26.07.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी अलवर के स्तर पर विचाराधीन डी.वी.सी. प्रकरण सं. DVC/16-06-22/1634-94 दिनांक: 25-06-2022 के संबंध में विविध विन्दुवार सूचना संबंधी प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिसे राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर द्वारा पत्र सं0 लो.सू.अ. /अन्तरण/2022/1879-80 दिनांक: 04.08.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रत्यर्थी कार्यालय को अन्तरित किया गया।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक: 07.09.22 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांक: 19.09.2022 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 26.07.2022 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।
8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
9. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 26.07.2022 के अनुसार उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं नियमानुसार स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे। यदि सूचना उपलब्ध ना हो तो भी तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
10. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे। RTI आवेदनों को विलम्बित नहीं किया जावे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।



(जीतेंद्रसिंह नरुका)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)